[2018] 9 एस. सी. आर. 204

केंद्रीय के लिए राष्ट्रीय शिविर समिति

निर्माण श्रम पर कानून (एन. सी. सी.-सी. एल.)

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 318)

मार्च 19,2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (का विनियमन

अधिनियमों का कार्यान्वयन-बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम सामाजिक विधान हैं-इन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, विशेष रूप से Art.39 जिसके लिए आवश्यक है - राज्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी नीति निर्देशित करेगा, और Art.42 जो काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों से संबंधित है

हालांकि, न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार

क्षेत्र

प्रशासन (यू. टी. ए.) संसद द्वारा अधिनियमित दो उपर्युक्त कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार था और यहां तक कि भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की राज्य सरकारों और यू. टी. ए. एस. द्वारा अवहेलना की गई थी-जारी किए गए विशिष्ट निर्देश: ((i) मंत्रालय

श्रम और रोजगार, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. दोनों के लिए पंजीकरण तंत्र को स्थापित करने और मजबूत करने के लिए

वास्तव में निर्माण श्रमिकों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (iv) राज्य सरकारों और प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्डों और यू. टी. ए. को सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए बीओसीडब्ल्यू अधिनियम का कार्यान्वयन ताकि भविष्य में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम का बेहतर और अधिक प्रभावी और सार्थक कार्यान्वयन हो सके

उक्त विशिष्ट निर्देशों के अलावा कुछ सामान्य निर्देश भी पारित किए गए ताकि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ लागू किया जा सके

भारत का संविधान-कला। 21,39 और 42.

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और विकास का विनियमन)

सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (बी. ओ. सी. डब्ल्यू.) और इसके सहयोगी कानून, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर) सामाजिक न्याय कानून हैं।

इन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिसमें राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी नीति को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है और काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 42। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 को भुलाया नहीं जा सकता है। गरिमापूर्ण जीवन सभी व्यक्तियों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है और जिसमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं। इसी पृष्ठभूमि में दो कल्याणकारी और लाभकारी कानूनों को समझना और उनकी सराहना की जानी चाहिए। [पैरा 63] [239-एफ-एच]

2. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 1995 में 85 लाख निर्माण श्रमिकों (85 लाख) को संदर्भित करता है। वे समाज के कमजोर वर्ग थे जिन्हें अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राज्य के समर्थन की आवश्यकता थी। वे. राज्य द्वारा लगातार निराश किया गया है और यहां तक कि इस न्यायालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों से भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। राज्य के समक्ष कार्य-समाज के एक कमजोर वर्ग के लाभ और कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना बहुत बड़ा है, और जैसा कि मामले में प्रगति से पता चलता है, राज्य संसद की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में तब तक असमर्थ हो सकता है जब तक कि एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति न हो। इस तरह की स्थिति में राज्य की उदासीनता वस्तुतः निर्माण श्रमिकों के शोषण के बराबर है, और यदि राज्य शोषक बन जाता है, तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत कम उम्मीद है। [पैरा 64] [240-ए-बी; सी-डी]

विशिष्ट दिशा-निर्देश

3. इसलिए पहला निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को है कि वे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के साथ-साथ [2018] 9 एस. सी. आर. के पंजीकरण दोनों के लिए पंजीकरण तंत्र को स्थापित करें और मजबूत करें।

निर्माण श्रमिक। यह उनके द्वारा तय की जाने वाली एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द। [पैरा 68] [241-सी-डी]

उपकर के संग्रह के लिए यंत्र। यह आम जानकारी की बात है कि निर्माण की भारी मात्रा है। पूरे देश में गतिविधि चल रही है और निर्माण गतिविधि में शामिल प्रतिष्ठानों का कोई कारण नहीं है, दोनों औपचारिक रूप से

साथ ही गैर-औपचारिक, उपकर का भुगतान नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जब वे निर्माण श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हों।

इसी तरह, कोई कारण नहीं है कि इन प्रतिष्ठानों के निर्माण श्रमिकों को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत उनके अधिकारों और लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। [पैरा 69] [241-डी-एफ]

5. इसलिए तीसरा निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक समग्र मॉडल योजना तैयार करने का है।

गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से निर्माण श्रमिकों का लाभ, जो वास्तव में निर्माण श्रमिकों के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जबकि इस तरह की एक आदर्श योजना तैयार करने में एक तात्कालिकता है, श्रम मंत्रालय

और रोजगार को धीरे-धीरे जल्दबाजी करने और एक ऐसी मॉडल योजना तैयार करने के लिए आगाह किया जाता है जो व्यापक हो और आसानी से हो सके।

6. चौथा निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का है ताकि भविष्य में बेहतर और अधिक प्रभावी और सार्थक हो सके। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम का कार्यान्वयन। [पैरा 76] [243-सी-डी]

सामान्य निर्देश

7. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करेंगे, यदि पहले से गठित नहीं है, और वह राज्य

सलाहकार समिति अपना कार्य करने के लिए नियमित रूप से बैठक करेगी। भवन और अन्य निर्माण का नियम 20

श्रमिकों (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) केंद्रीय नियम, 1998 में प्रावधान है कि केंद्रीय सलाहकार

समिति की बैठक छह महीने में कम से कम एक बार होगी।

यह राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. हो सकता है।

भारत का संघ

राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के लिए एक अच्छे दिशानिर्देश के रूप में उपयोग किया जाता है। [पैरा 78] [244-बी-डी]

8. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी और धारा 62 के तहत वैधानिक नियम बनाएगी।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, यदि ऐसे वैधानिक नियम पहले से ही तैयार नहीं किए गए हैं। एक विशेषज्ञ समिति का गठन और वैधानिक नियम निर्धारित करना समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। [पैरा 78] [244-डी-ई]

9. राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को नियुक्त करना चाहिए।

प्रतिष्ठानों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अधिकारियों का पंजीकरण। यह बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के साथ-साथ उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। [पैरा 78] [244-ई-एफ] 10. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार एक कल्याण बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। यह सराहना की जानी चाहिए कि यह एक निकाय नहीं है जिसे एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया जा सकता है। कानून की आवश्यकता है कि कल्याण बोर्ड एक निकाय निगमित होगा जिसका स्थायी उत्तराधिकार होगा और

सील कर दें। इसलिए कल्याण बोर्ड के गठन के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए। [पैरा 78] [244-एफ-जी]

12 बीओसीडब्ल्यू अधिनियम। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए एक सार्वभौमिक पहुंच संख्या जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इस मुद्दे को श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए एक उपयुक्त प्रणाली पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है पहचान और पंजीकरण, बशर्ते यह प्रभावी और सार्थक हो। [पैरा 78] [245-ए-सी]

13. श्रम और रोजगार मंत्रालय निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराने पर सक्रिय रूप से विचार करेगा

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान [2018] 9 एस. सी. आर.

अधिनियम, 1952 के साथ-साथ (जहां तक संभव हो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005। [पैरा 78]

[245 - सी-डी]

14. श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या भारत सरकार की परियोजनाएं

रेलवे, रक्षा और अन्य प्रतिष्ठानों को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के दायरे में लाया गया है। [पैरा 78] [245-डी-ई]

15. निगरानी समिति, जिसकी अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, को सक्रिय रूप से बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, उपकर अधिनियम और निर्देशों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। इसे और अधिक बार मिलने की आवश्यकता है, और किसी भी मामले में तीन महीने में एक बार, यह देखते हुए कि हजारों करोड़ रुपये का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा रहा है, और कुछ मामलों में, दुरुपयोग किया जा रहा है। [पैरा 78] [245-ई-एफ]

16. भारत संघ को पहले से एकत्र किए गए उपकर के प्रबंधन पर निर्णय लेना चाहिए। भारत संघ को पहले से एकत्र किए गए उपकर के लाभकारी उपयोग पर निर्णय लेना होगा ताकि कल्याण बोर्ड अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध न हों-दुर्भाग्य से लाभार्थियों को नुकसान हो रहा है। [पैरा79]

[245 - जी-एच]

बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ आई. एल. आर.

(2007) 1 देल 1143; हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य (1961) 2 एस. सी. आर. 537; बंधुआ मुक्ति मोर्चा वी. भारत संघ (1984) 3 एससीसी 161: [1984] 2 एससीआर 67; दीवान चंद बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम। संघ का

भारत (2012) 1 एससीसी 101: [2011] 13 एससीआर 214; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. केसरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201: [2004] 1 एस. सी. आर. 564; ए. प्रभाकर रेड्डी और कंपनी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2016) 1 एससीसी 600: [2015] 9 एस. सी. आर. 675; केंद्रीय के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति निर्माण श्रम पर विधान v. भारत संघ

(2011) 4 एस. सी. सी. 653; निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम। संघ

भारत सरकार (2012) 3 एस. सी. सी. 336; राष्ट्रीय अभियान

निर्माण पर केंद्रीय विधान के लिए समिति

श्रम बनाम। भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. 166; राष्ट्रीय

केंद्रीय विधान के लिए अभियान समिति निर्माण श्रम बनाम।

भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) बनाम।

भारत का संघ

169 ; केंद्रीय के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति

निर्माण श्रम पर विधान v. भारत संघ (2015) 17 एस. सी. सी. 171; राष्ट्रीय अभियान समिति

निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान v. संघ

भारत सरकार, (2015) 17 एस. सी. सी. 173; राष्ट्रीय अभियान

निर्माण पर केंद्रीय विधान के लिए समिति

श्रम बनाम। भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. 174-निर्दिष्ट

को।

मामला कानून संदर्भ

आर (2007) 1 डेल 1143

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

961) 2 एससीआर 537

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

984] 2 एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

011] 13 एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

004] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

015] 9 एससीआर 675

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

011) 4 एस. सी. सी. 653

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

012) 3 एस. सी. सी. 336

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

015) 17 एससीसी 166

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

015) 17 एससीसी 169

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

015) 17 एससीसी 171

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

015) 17 एससीसी 173

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

015) 17 एससीसी 174

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी.

. 318 2006 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. में अवमानना याचिका (सी) संख्या 52/2013 (C) नहीं। 318/200

मनिंदर सिंह, एएसजी, डी. के. ठाकुर, एस. एस. शमशेरी, एए

वेक के. तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. सी.), कॉलिन गोंजाल्विस, राणा मुखर्जी

वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चौधरी अली जिया कबीर, सुश्री जे.

एंडिरट्टा, एस. वसीम ए. कादरी, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बी.

अखय अमृतांशु, प्रणय राजन, सुश्री कस्तूरिका कौमुदी, सुश्री एकता प्रधान, बी. वी. बलराम दास, भरत सिंह, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री गुनवंत दारा, जैद अली, राज बहादुर यादव, श्रीमती जी. दारा, सुश्री श्रेओशी चटर्जी, सुश्री आरती शर्मा, सुश्री अनिल कटियार, गुरमीत सिंह मक्कर, बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री अनीता शेनॉय, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, देबोजीत बोरकाकाती, शुभदीप रॉय, एम / <आई. डी. 1] लॉ ग्रुप, अनिल श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, ए. पी. मयी, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री ममता सिंह, सुश्री शोधिका शर्मा, डॉ. मोनिका गुसैन, पीयूष हंस, सुश्री पारुल शर्मा, वरिंदर कुमार शर्मा, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, अनिल कुमार झा, सुश्री प्रियंका तियागे, वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., बबीना, अमित कुमार, रंजन मुखर्जी, डेनियल स्टोन लिंगदोह, गणेश बापू, शिखर गर्ग, पी. वी. योगेश्वरन, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल, सिबो शंकर मिश्रा, करण भरीहोक, एस. एस. रे, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश

अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री सिमरान जीत (मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए), टी. आर. बी. शिवकुमार, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास, अभिषेक, रामजी पांडे, राजेंद्रन बालन, जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, सौमित्र जी. चौधरी, चंचल के. गांगुली, भुपेश नरूला, के. वी. जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, एस. मनूराज, यशराज सिंह बुंदेला, प्रवीण विग्नेश। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे.

1. प्रतीकात्मक न्याय-असंगठित क्षेत्र के लाखों निर्माण श्रमिकों को देने के लिए और कुछ नहीं है-सामाजिक नहीं।

न्याय, आर्थिक न्याय नहीं। इसका कारण काफी सरल है। कोई भी राज्य सरकार और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (यू. टी. ए.) इच्छुक नहीं दिखता है।

(या शायद पूरी तरह से राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) का पूरी तरह से पालन करने और पालन करने में सक्षम है।

भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

संसद द्वारा सत्यनिष्ठा से अधिनियमित दो कानूनों, अर्थात् भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम) और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) का पालन करना। दोनों कानूनों को लागू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया है। समान रूप से दुखद बात यह है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों की राज्य सरकारों और यू. टी. ए. एस. द्वारा अवहेलना की गई है-और इसे इस न्यायालय में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए एक बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। उम्मीद है कि संवैधानिक और संघीय संदर्भ में स्थिति की गंभीरता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में किसी को कहीं न कहीं और कभी न कभी एहसास होगा।

2. हमें सूचित किया गया है कि उपकर अधिनियम के तहत रुपये से अधिक। 37,400 निर्माण के लाभ के लिए करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। श्रमिक, लेकिन केवल लगभग रु। 9500 उनके लाभ के लिए प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों का उपयोग किया गया है। शेष के साथ क्या किया जा रहा है लगभग रु। 28,000 करोड़? ऐसा क्यों है कि देश भर में निर्माण श्रमिक हैं

इतनी बड़ी राशि के लाभ से वंचित किया जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो इस याचिका में उठते हैं क्या जवाब हवा में बह रहे हैं?

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

3. याचिकाकर्ता को पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की एक गैर-पंजीकृत समिति कहा जाता है जो श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है।

यह अनुच्छेद 15 (3), 39 (ई) और (एफ) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 45 और 47 का भी उल्लंघन करता है। राज्य यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनके बुनियादी अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाए। यह गैर-कार्यान्वयन संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह माना जाता है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अर्थात् निर्माण में सुरक्षा और स्वास्थ्य [2018] 9 एस. सी. आर. पर आधारित हैं।

4. इसके अनुभवों और किए गए अध्ययनों के आधार पर जो सुरक्षित और स्वस्थ काम करने के लिए किसी भी प्रभावी प्रणाली के अभाव का संकेत देते हैं निर्माण श्रमिकों के लिए शर्तों पर, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जिसमें कई प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से प्रार्थना यह है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम को सार्थक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम

5. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम दोनों 1996 में अधिनियमित किए गए थे। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह एक अधिनियम है "भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए"। उपकर अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह "बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत गठित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से नियोक्ताओं द्वारा निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।"

6. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के प्रासंगिक पैराग्राफ में कहा गया है:

" अनुमान है कि देश में लगभग 85 लाख श्रमिक भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक भारत में असंगठित श्रमिकों के सबसे अधिक संख्या में और कमजोर वर्गों में से एक हैं। भवन और अन्य निर्माण कार्यों की विशेषता श्रमिकों के जीवन और अंगों के लिए उनके अंतर्निहित जोखिम हैं। इस काम की विशेषता इसकी अनौपचारिक प्रकृति, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अस्थायी संबंध, अनिश्चित काम के घंटे, बुनियादी सुविधाओं की कमी और कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता भी है। पर्याप्त वैधानिक प्रावधानों के अभाव में, दुर्घटनाओं की संख्या और प्रकृति के बारे में आवश्यक जानकारी भी नहीं है।

आने वाला है। ऐसी जानकारी के अभाव में, यह मुश्किल है

जिम्मेदारी तय करना या कोई सुधारात्मक कार्रवाई करना।

राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

2. यद्यपि कुछ केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधान भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों पर लागू होते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान की आवश्यकता महसूस की गई है। इस मामले में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से परामर्श किया गया है और उनमें से अधिकांश ने इस तरह के कानून का समर्थन किया है। इसके अलावा, 41 वें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार गठित राज्य श्रम मंत्रियों की समिति की बैठक की अध्यक्षता में

18 मई, 1995 को तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री, एक जनरल

प्रस्तावित केंद्र की आवश्यकता पर सर्वसम्मति बनी थी

विधान.

3. ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्डों का गठन करना आवश्यक माना गया है ताकि भवन और अन्य निर्माण के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था और निगरानी की जा सके।

(रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 1988 जिसे 5 दिसंबर, 1988 को राज्य सभा में पेश किया गया था। इस पर उपकर लगाना भी आवश्यक माना गया है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करने के लिए कल्याण बोर्डों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कार्यों पर नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत और

कल्याणकारी उपाय "। [जोर दिया गया]।

7. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय और राज्य सलाहकार समिति (समितियों) के गठन के लिए उपयुक्त लोगों को सलाह देने का प्रावधान करता है।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम (धारा 3 और 4) के प्रशासन से संबंधित मामलों पर सरकार; बी. ओ. सी. डब्ल्यू. के तहत नियम बनाने के लिए उपयुक्त सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन।

अधिनियम (धारा 5); पंजीकरण अधिकारी को आवेदन देकर भवन और निर्माण श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों की पंजीकरण और पंजीकरण (धारा 6 और 7); बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत लाभार्थियों के रूप में भवन और निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और उन्हें पहचान पत्र जारी करना (धारा 12 और 13); लाभार्थियों को आवश्यक लाभ और सहायता प्रदान करने सहित चिन्हित कार्यों के साथ राज्य कल्याण बोर्डों का गठन (धारा [2018] 9 एस. सी. आर.

18 और 22) भवन और निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एक कल्याण कोष का निर्माण (धारा 24) और काम के घंटे प्रदान करना, अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य और अन्य स्थितियों से संबंधित कल्याणकारी उपाय।

भवन और निर्माण श्रमिकों की सेवा (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के अध्याय VI और VII)।

8. स्पष्ट रूप से, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य भवन और निर्माण के असंगठित क्षेत्र के लाभ के लिए बनाया गया है।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में परिभाषित नियोक्ता का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए किया जाएगा। 10. उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है। यह धारा उपकर की कटौती को सक्षम बनाती है।

किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य या स्थानीय निकाय के माध्यम से अग्रिम संग्रह के संबंध में स्रोत पर

प्राधिकरण। इस प्रकार एकत्र किए गए उपकर का भुगतान बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत गठित कल्याण बोर्ड को संग्रह की लागत में कटौती करने के बाद किया जाएगा जो एकत्र की गई राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपकर अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

" 3. कर और उपकर का संग्रह। - (1) भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और शर्तों का विनियमन) के उद्देश्यों के लिए एक उपकर लगाया और एकत्र किया जाएगा।

सेवा) अधिनियम, 1996, ऐसी दर पर जो किसी नियोक्ता द्वारा की गई निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं, लेकिन एक प्रतिशत से कम नहीं, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है।

आधिकारिक राजपत्र समय-समय पर निर्दिष्ट करता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया उपकर प्रत्येक नियोक्ता से इस तरह से और ऐसे समय पर एकत्र किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
किसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य या अग्रिम राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) के संबंध में स्रोत पर कटौती।

स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से संग्रह जहां ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उप-धारा (2) के तहत एकत्र किए गए उपकर की आय का भुगतान स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को ऐसे उपकर के संग्रह की लागत में कटौती करने के बाद किया जाएगा जो एकत्र की गई राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत देय उपकर जिसमें -

अग्रिम रूप से ऐसा उपकर, अंतिम मूल्यांकन किए जाने के अधीन, एक समान दर या दरों पर एकत्र किया जा सकता है जो निर्धारित की जाए -

भवन या अन्य निर्माण कार्य की मात्रा का आधार

शामिल हैं "।

11. उपकर अधिनियम की धारा 4 और 5 प्रत्येक नियोक्ता से यह अपेक्षा करती है कि -

12. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के संबंध में यह तर्क दिया गया था कि यह अस्पष्टता के लिए बुरा है और जहां तक उपकर अधिनियम का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि उपकर का भुगतान करने वाले के लिए किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना उपकर एक अनिवार्य और अनैच्छिक अधिरोपण है और इसलिए उपकर वास्तव में एक कर था। यह तर्क दिया गया कि संसद में भूमि और भवनों पर कर लगाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव था जिसका प्रभाव था

उपकर अधिनियम।

13. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ 1 द

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया।

14. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी पर भरोसा किया।

» . उड़ीसा राज्य 2 जिसमें संविधान पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में कर, शुल्क और उपकर के बीच के किराए की व्याख्या की:

" ..... यह सच है कि कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों ही जनता द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले धन-व्यय हैं।

प्राधिकरण; लेकिन जबकि एक कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है और

बदले में दी गई सेवा के किसी भी विचार से समर्थित नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है, प्रदान की गई सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से शुल्क लगाया जाता है और इस तरह शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति और इसे लागू करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच परस्पर लाभ का एक तत्व होता है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग या किसी स्थानीय क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और उक्त सेवाओं के लिए एक शर्त के रूप में या उनके बदले में उक्त क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यापार या व्यवसाय के उक्त वर्ग के खिलाफ उपकर लगाया जाता है, तो उपकर एक कर से अलग है और इसे शुल्क के रूप में वर्णित किया जाता है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया कर निश्चित रूप से समेकित निधि में जाता है जिसका उपयोग अंततः सभी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि शुल्क के रूप में लगाया गया उपकर अभिप्रेत नहीं है।

समेकित निधि का हिस्सा होना और न बनना। यह उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए निर्धारित और अलग किया जाता है जिनके लिए इसे लगाया जाता है। हालाँकि, कर और शुल्क दोनों को लागू करने में मजबूरी का एक तत्व है। जब विधानमंडल किसी क्षेत्र या व्यक्तियों के किसी वर्ग को कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो उक्त क्षेत्र या व्यक्तियों के उक्त वर्ग के लिए यह अनुरोध करने के लिए खुला नहीं है कि वे सेवा नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्हें उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। यद्यपि कर दाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच परस्पर लाभ का एक तत्व है, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त करने के मामले में कर दाता के पास कोई विकल्प नहीं है। शुल्क के संबंध में एकत्र शुल्क और प्रदान की जाने वाली सेवा के बीच सह-संबंध है और हमेशा होना चाहिए। ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहां शुल्क लगाने की आड़ में विधानमंडल कर लगाने का प्रयास कर सकता है और विधायी शक्ति अदालतों को इस तरह के एक रंगीन अभ्यास के मामले में लेवी की योजना की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि क्या वास्तव में सेवा और लेवी के बीच कोई सह-संबंध है, या क्या लेवी या तो सेवा के साथ सह-संबंधित नहीं है या इस तरह के शुल्क के लिए लगाया जाता है।

1) 2 एस. सी. आर. 537 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

अत्यधिक सीमा के रूप में एक शुल्क का ढोंग और एक शुल्क में नहीं

वास्तविकता। दूसरे शब्दों में, किसी कानून द्वारा लगाया गया कोई विशेष उपकर शुल्क या कर के बराबर है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न होगा।

15. अधिनियमों के उद्देश्यों के संबंध में, दिल्ली

न्यायालय ने बंधुआ में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन लिया

टी मोर्चा वी। भारत संघ। 3 निम्नलिखित परिच्छेद का उल्लेख किया गया था

घ ने संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 के पीछे के उद्देश्य के संबंध में भरोसा किया। बंधुआ ती मोर्चा में कहा गया थाः

यह इस देश में सभी का मौलिक अधिकार है, आश्वस्त किया

फ्रांसिस मुलिन मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 को दी गई व्याख्या के तहत [फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, संघ

दिल्ली क्षेत्र और अन्य] मानव गरिमा के साथ जीने के लिए, स्वतंत्र शोषण से। मानवीय गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार निहित है।

अनुच्छेद 21 में निर्देशात्मक सिद्धांतों से अपनी जीवन सांस ली गई है।

राज्य नीति और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41 और 42 के खंड (ई) और (एफ) और कम से कम, इसलिए, इसमें श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए, और बच्चों की कम उम्र के दुरुपयोग, अवसरों और दुर्व्यवहार से सुरक्षा शामिल होनी चाहिए।

बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए सुविधाएँ

स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियाँ, शैक्षिक सुविधाएँ, काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत। ये हैं।

न्यूनतम आवश्यकताएँ जो किसी व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए

मानवीय गरिमा के साथ जीना और न कोई राज्य और न ही केंद्र

सरकार और न ही किसी राज्य सरकार को लेने का अधिकार है। ऐसी कोई कार्रवाई जो किसी व्यक्ति को इनके आनंद से वंचित कर दे।

मूलभूत आवश्यकताएँ। चूंकि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

अनुच्छेद 39 के खंड (ई) और (एफ) में निहित, अनुच्छेद 41 और 42 कानून के न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, यह संभव नहीं हो सकता है

इन बुनियादी बातों को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक अधिनियम या कार्यकारी आदेश द्वारा आवश्यक चीजें जो मानव गरिमा का जीवन बनाती हैं लेकिन कहाँ

इन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा पहले से ही कानून बनाया गया है। श्रमिकों के लिए आवश्यकताएँ और इस प्रकार ठोस वास्तविकता और सामग्री के साथ बुनियादी मानव गरिमा के साथ जीने के उनके अधिकार का निवेश,

4) 3 एससीसी 161

राज्य निश्चित रूप से इस तरह के कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो सकता है क्योंकि इस तरह के कानून के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने में राज्य की ओर से निष्क्रियता इस बात से इनकार करने के बराबर होगी कि अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। इसलिए केंद्र सरकार श्रमिकों को बुनियादी मानव जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन में गरिमा।

16. संक्षेप में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम अस्पष्ट नहीं था, बल्कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए था

और संसद ने उपकर अधिनियम के माध्यम से उपकर लगाने को उचित ठहराया।

17. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उस चुनौती को दीवान चंद बिल्डर्स एंड कंपनीज में खारिज कर दिया गया था। ठेकेदार बनाम। भारत संघ। इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की योजना को नोट किया और निम्नानुसार टिप्पणी की:

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य का प्रवर्तन। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कल्याणकारी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने का साधन उपकर अधिनियम के माध्यम से है, जिस पर सवाल उठाया गया है ये अपीलें असंवैधानिक हैं। "

18. इस न्यायालय ने हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ के फैसले और एक अन्य संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया।

स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी (केसोरम इंडस्ट्रीज में बहुमत के लिए बोलते हुए) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को निम्नलिखित शब्दों में संदर्भित किया:

" 146. ..... उपकर शब्द का उपयोग आमतौर पर किसी उद्देश्य या किसी विशेष वस्तु के लिए आवंटित कर के साथ कर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह

5 (2012) 1 एस. सी. सी 101

6 (2004) 10 एस. सी. सी. 201 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

इसका अर्थ निर्धारण या शुल्क भी है। लेवी के संदर्भ और उद्देश्य के आधार पर, उपकर एक कर नहीं हो सकता है; यह एक शुल्क या शुल्क भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि बाहर से प्रदान की जाने वाली सेवाएं एकत्रित शुल्क सीधे एकत्रित शुल्क की राशि के अनुपात में होना चाहिए। यह समान रूप से आवश्यक नहीं है कि सेवाएँ

एकत्रित शुल्क द्वारा प्रदान किया गया शुल्क उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहना चाहिए जिनसे शुल्क लिया गया है। अप्रत्यक्ष लाभ की उपलब्धता और शुल्क लगाने के बोझ को वहन करने वाले व्यक्तियों और एकत्र शुल्क से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच एक सामान्य संबंध शुल्क की वैधता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

19. न्यायालय तब इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कर और शुल्क के बीच एक स्पष्ट अंतर है और इसके उद्देश्य को देखते हुए बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपकर का उद्ग्रहण एक

शुल्क और कर नहीं।

20. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम की व्याख्या पर ए. प्रभाकर रेड्डी और कंपनी बनाम में फिर से विचार किया गया था। की स्थिति

मध्य प्रदेश '। इस मामले में निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने और उन्हें आवश्यक लाभ प्रदान करने पर जोर दिया गया था। चूंकि उपकर लगाना एक शुल्क है, इसलिए यह आग्रह किया गया कि दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। यह भी कहा गया कि केवल इसलिए कि दोनों कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में कुछ देरी हुई थी, यह उपकर लगाने को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है और न ही उपकर लगाने को पूर्वव्यापी अनुप्रयोग कहा जा सकता है। यह था। निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" यह तथ्य कि श्रमिकों को पंजीकृत करने और उन्हें लाभ प्रदान करने के कार्य में कुछ समय लग सकता है, उपकर अधिनियम के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी अन्य व्याख्या उन श्रमिकों के अधिकारों को विफल कर देगी जिनकी सुरक्षा बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के साथ-साथ उपकर अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिक चिंता और उद्देश्य है। उपकर सेवा के लिए एक शुल्क है और इसलिए, तय किए गए कानून के अनुसार इसकी गणना सख्ती से क्विड प्रो क्वो नियम के अनुसार नहीं होनी चाहिए और इसके लिए किसी गणितीय सटीकता की आवश्यकता नहीं है। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, उपकर अधिनियम और नियमों की योजना यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी रूप से अधिरोपणीय उपकर लगाया जाना चाहिए, एकत्र किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के वैधानिक कल्याण कोष में रखा जाना चाहिए ताकि पात्र श्रमिकों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम या उपकर अधिनियम की योजना आवश्यक नहीं है।

कि जब तक सभी श्रमिक पहले से ही पंजीकृत नहीं हैं या कल्याण निधि को विधिवत जमा नहीं किया जाता है या कल्याणकारी उपाय उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तब तक कोई उपकर नहीं लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, श्रमिकों की सेवा को उपकर लगाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होने की आवश्यकता नहीं है। कल्याणकारी सेवाओं का प्रदान करना उचित रूप से केवल उपकर लगाए जाने, एकत्र किए जाने और जमा किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। कल्याण कोष।

हम अपीलार्थियों की ओर से आगे की गई अन्य प्रस्तुतियों में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि किसी विशेष तिथि से या किसी अन्य कारण से बोर्ड के गठन के कारण किसी विशेष अवधि से नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर शुल्क लगाने में कानूनी बाधा है। यह तर्क गलत है। श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐसे लाभकारी उपाय उन निर्माण गतिविधियों पर भी लागू होते हैं जो बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हो चुके होते हैं, यदि वे बाद में इन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। उपकर के लागू होने से पहले की गई निर्माण लागत की अनदेखी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती है, इसे बाद में की गई निर्माण लागत से अलग करके, उस तारीख से जब बोर्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो। इन तथ्यों और परिस्थितियों में उपकर लगाने को किसी भी कारण से दोष नहीं दिया जा सकता है। दिए गए तथ्यों में उपकर की मांग उपकर अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए अपील विफल होनी चाहिए। "

21. कानून के बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद और

संवैधानिक रूप से वैध, इसे संसद के इरादे के अनुसार लागू नहीं किया जा रहा था। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का रुख करने की आवश्यकता थी और इस न्यायालय को सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के रूप में उठाए गए मुद्दों को उठाने की आवश्यकता थी।

न्यायालय द्वारा जारी सकारात्मक निर्देश

22. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम के पीछे कल्याण और लाभकारी इरादे को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रभावी और सार्थक होने के लिए

कार्यान्वयन, इस न्यायालय ने मई 2008 से कई निर्देश जारी किए हैं। यह न्यायालय ऐसा करने के लिए मजबूर था क्योंकि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के अधिनियमन के बारह साल बाद भी, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. एस. द्वारा बुनियादी वैधानिक आदेशों का पालन नहीं किया गया था। यह आवश्यक नहीं है। सभी दिशाओं में विज्ञापन देना, भले ही उनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण हो। उनमें से कुछ, जिन्हें इन्फ्रा कहा जाता है, राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. की प्रगति को इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं।

मामले से। बाद में, हम कई वैधानिक निर्देशों के बावजूद बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपनी असहायता का संकेत देने के लिए भारत संघ द्वारा दायर विभिन्न हलफनामों का भी उल्लेख करेंगे।

उसके द्वारा जारी किया गया।

23. जब 12 मई, 2008 को इस न्यायालय द्वारा मामले को विचार के लिए लिया गया था, तो याचिकाकर्ता द्वारा यह सूचित किया गया था कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के अधिनियमन के एक दशक बाद भी, इसके प्रावधानों की न्यूनतम और बुनियादी आवश्यकताओं को लगभग हर राज्य सरकार और यू. टी. ए. द्वारा लागू या विचार नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 4 में एक समिति के गठन की आवश्यकता है जिसे राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति कहा जाता है। इस राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रशासन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि शायद किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया था।

" 4. राज्य सलाहकार समिति। (1) राज्य सरकार राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की सलाहकार समिति (जिसे इसके बाद राज्य सलाहकार समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नामक एक समिति का गठन करेगी जो राज्य सरकार को प्रशासन से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर सलाह देगी। यह अधिनियम जैसा कि इसके लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) राज्य सलाहकार समिति में शामिल होंगे -

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष;

((ख) राज्य विधानमंडल के दो सदस्य जिनसे वे चुने जाएँगे।

राज्य विधानमंडल-सदस्य;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला सदस्य;

(घ) मुख्य निरीक्षक-सदस्य, पदेन;

(ई) अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या, जो ग्यारह से अधिक नहीं, लेकिन सात से कम नहीं, जिसे राज्य सरकार नियोक्ताओं, भवन श्रमिकों, संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकती है।

वास्तुकार, इंजीनियर, दुर्घटना बीमा संस्थान और कोई अन्य हित जिनका राज्य सरकार की राय में राज्य सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

(3) उप-धारा (2), [2018] 9 एस. सी. आर. के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी से सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।

राज्य सलाहकार के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और रिक्तियों को भरने का तरीका

समिति ऐसी होगी जो विहित की जाए: बशर्ते कि प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित सदस्यों की संख्या

भवन निर्माण श्रमिक सदस्यों की संख्या से कम नहीं होंगे।

नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित।

24. इसी तरह, यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकारों ने बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 62 के संदर्भ में वैधानिक नियम नहीं बनाए थे। द.

नियमों का महत्व यह है कि उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रतिष्ठान का पंजीकरण, एक लाभार्थी (निर्माण श्रमिक) का पंजीकरण, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 14 के तहत एक लाभार्थी को मिलने वाले लाभ आदि प्रदान करने की आवश्यकता है। नतीजतन, किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में, एक निर्माण श्रमिक के लिए बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे मिलने वाले लाभ प्राप्त करना लगभग असंभव होगा।

25. वैधानिक नियम बनाने के उद्देश्यों के लिए, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 5 एक या एक से अधिक का गठन करने वाली राज्य सरकार को अभिनिर्धारित करती है।

नियमों का मसौदा तैयार करने में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए भवन या अन्य निर्माण कार्यों में विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों से बनी विशेषज्ञ समिति।

26. प्रस्तुतियों के आधार पर, न्यायालय ने राज्य सरकारों से आठ के भीतर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया

सप्ताह।

27. जब 5 दिसंबर, 2008 को इस मामले पर विचार किया गया तो यह पता चला कि केवल कुछ राज्यों ने आवश्यक प्रावधान किए थे। जानकारी, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से, यह ध्यान में आया कि राज्य सरकारों द्वारा उपकर अधिनियम के तहत उपकर एकत्र किया जा रहा था, लेकिन उस संग्रह का लाभ निर्माण श्रमिकों को नहीं दिया जा रहा था।

28. तदनुसार, 13 जनवरी, 2009 को न्यायालय ने अपना ध्यान आकर्षित किया।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलू, अर्थात् पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, पंजीकरण प्रतिष्ठानों और भवन श्रमिकों का पंजीकरण जो बी. ओ.

सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के वास्तविक लाभार्थी हैं। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 6 उपयुक्त सरकार से बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राजपत्रित अधिकारियों को पंजीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा करती है। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 7 अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. के पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

प्रतिष्ठानों से। इस तरह के पंजीकरण की आवश्यकता यह है कि यह अन्य कानूनों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है जो निर्माण श्रमिकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधान। निर्माण गतिविधियों में शामिल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के अभाव में, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत अधिकारियों के लिए यह बेहद मुश्किल होगा कि

श्रम कानूनों के प्रावधानों को लागू करना।

29. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के वास्तविक लाभार्थी भवन निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 में इसका प्रावधान है। यह समझने के लिए बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि जब तक कोई निर्माण श्रमिक बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत नहीं है और एक पंजीकृत प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित नहीं है, तब तक वह निर्माण श्रमिक होगा।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा जो किसी निर्माण श्रमिक को लाभान्वित कर सकता है। यह वास्तव में वर्तमान में उत्पन्न होने वाले कार्यान्वयन मुद्दे का मूल है।

निर्माण श्रमिकों की संख्या आवश्यक संख्या से काफी कम है और यह एक अनुमान भी है। 30. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसकी उपेक्षा की गई और इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत राज्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन से संबंधित। कल्याण बोर्ड एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, बल्कि एक निगमित निकाय है, जिसका स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर है और जो

मुकदमा किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। कल्याण बोर्ड के पास करने के लिए कई कार्य हैं और ये बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 में विस्तृत हैं। इन कार्यों में किसी लाभार्थी को सहायता प्रदान करना शामिल है।

दुर्घटना, लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करना, ऋण स्वीकृत करना, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि। दूसरे शब्दों में, बड़ी मात्रा में लाभ जो एक निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यों के दायरे में आने का हकदार है। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 22. बोर्डों के कार्य। (1) बोर्ड कर सकता है (क) दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना;

(ख) उन लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करें जिनके पास है

(ङ) लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसी वित्तीय सहायता देना जो निर्धारित की जाए। (च) किसी लाभार्थी या ऐसे आश्रित की प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए ऐसे चिकित्सा खर्चों को पूरा करें, जो निर्धारित किए जाएं;

(छ) महिला को प्रसूति लाभ का भुगतान करना।

लाभार्थी; और (ज) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं का प्रावधान और सुधार करना जो निर्धारित किए जाएं।

(2) बोर्ड किसी भी प्रतिष्ठान में भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़े उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना की सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ता को ऋण या सब्सिडी प्रदान कर सकता है।

भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक के कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं, ताकि अनुदान के रूप में देय राशि किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ता को सहायता से अधिक नहीं होगी

(क) राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं को प्रदान करने में खर्च की गई राशि। इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट, या

((ख) ऐसी राशि जो विहित की जाए,

जो भी कम हो: बशर्ते कि ऐसे किसी भी कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं के संबंध में कोई अनुदान-सहायता देय नहीं होगी जहां राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v.

उस पर उपरोक्त रूप में निर्धारित राशि इस संबंध में निर्धारित राशि से कम है।

31. कल्याण बोर्ड के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष नामक एक कोष का गठन करना है। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 में इसका प्रावधान किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कल्याण कोष का उद्देश्य कल्याण बोर्ड के लाभ के लिए नहीं, बल्कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए प्राप्त धन का उपयोग करना है। जहाँ तक कल्याण बोर्ड के खर्चों का संबंध है, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 (3) में प्रावधान है कि यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल खर्चों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि निधि का कम से कम 95 प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए उपयोग किया जाना है। इसलिए, निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए गठित कल्याण निधि के उपयोग के संबंध में कल्याण बोर्ड पर कुछ वित्तीय सीमाएं रखी गई हैं। हमारे ध्यान में जो लाया गया है वह यह है कि कल्याण बोर्डों के पास बड़ी राशि उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग भवन और निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए नहीं किया गया है। यह न केवल एक त्रासदी है, बल्कि न्याय का उपहास है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर बाद प्रचारित करेंगे।

32. पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों के महत्व और महत्व को समझते हुए,

प्रतिष्ठानों और निर्माण श्रमिकों और कल्याण बोर्डों की स्थापना (जिनमें से किसी का भी स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था) न्यायालय ने 13 जनवरी, 2009 को निम्नलिखित निर्देश दिए:

" हम संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (श्रम) को निर्देश देते हैं कि

यदि पहले से नहीं किया गया है, तो [बी. ओ. सी. डब्ल्यू.] अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय पर कदम उठाएँ। हम मई के पहले सप्ताह में मूल्यांकन रिपोर्ट चाहते हैं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। यदि किसी भी राज्य सरकार ने अधिनियम के अनुसार कुछ नहीं किया है, तो तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इसका लाभ मिल सके।

कानून व्यर्थ नहीं जाएगा। अन्यथा निर्माण क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को अधिनियम के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

33. इसके बाद, 18 जनवरी, 2010 को न्यायालय ने निर्देशों का एक समूह पारित किया ताकि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

लागू किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश इस प्रकार हैं: 8 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति v.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. कल्याण बोर्डों का गठन प्रत्येक राज्य द्वारा किया जाना चाहिए

तीन महीने के भीतर पर्याप्त पूर्णकालिक कर्मचारी।

2. कल्याण बोर्डों को दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी।

या जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है, अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए।

श्रमिकों और अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में। वहाँ मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रभावी उपयोग होना चाहिए।

अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, उपलब्ध लाभ

बेनि सिङाव आरो बेनि मुलामफाखौ लानो थाखाय खान्थिफोर दं।

4. प्रत्येक राज्य सरकार पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और

प्राप्त करने और पंजीकृत करने के लिए प्रत्येक जिले में केंद्र स्थापित करें

5. पंजीकृत ट्रेड यूनियन, कानूनी सेवा प्राधिकरण और गैर सरकारी संगठन श्रमिकों को आवेदन जमा करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए।

6. सरकारों के साथ सभी अनुबंधों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी

अधिनियम के तहत श्रमिकों और ऐसे श्रमिकों को लाभों का विस्तार

अधिनियम के तहत।

7. उपकर अधिनियम के तहत उपकर एकत्र करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

लगातार। 8. अधिनियम के तहत लाभ पंजीकृत लोगों को दिए जाने चाहिए

एक निर्धारित समय सीमा के भीतर श्रमिक, अधिमानतः छह के भीतर

महीनों तक।

9. कल्याण बोर्डों और श्रम के सदस्य सचिव सचिव के उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा

अधिनियम के प्रावधान। प्रत्येक राज्य का श्रम मंत्रालय

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाना।

10. सीएजी को अधिनियम के संपूर्ण कार्यान्वयन का लेखा-परीक्षण करना चाहिए

और धन का उपयोग।

11. सभी बोर्ड आवश्यकतानुसार एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

संबंधित सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत।

34. इन विशिष्ट और कुछ सामान्य निर्देशों के बावजूद,

राज्य सरकारें और यू. टी. ए. स्पष्ट रूप से पर्याप्त लेने में विफल रहे

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना।

समान रूप से दुखद यह है कि 25 अप्रैल, 2011 को जब मामला विचार के लिए लिया गया था, भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के समक्ष कहा कि हालांकि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन निर्देशों का कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर इस कारण से नहीं हुआ था कि ऐसे निर्देश दंडात्मक परिणामों के साथ लागू करने योग्य नहीं थे! इसलिए, केंद्र सरकार ने बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में संशोधन करने और यदि आवश्यक हो तो उस संबंध में वैधानिक नियम बनाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया था। इस उद्देश्य के लिए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत संघ से आवश्यक कदम उठाने के लिए तीन महीने का समय मांगा।

35. भारत संघ ने न केवल बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में संशोधन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, बल्कि राज्य सरकारों और यू. टी. ए. ने भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया

इस न्यायालय के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का निर्लज्ज और निर्लज्ज उल्लंघन जारी रखा। एक तरह से ऐसा लगता है

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम को ईमानदारी से लागू नहीं करने की शक्तियों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस स्थिति का सामना करते हुए, इस न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सभी संबंधितों को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने जवाब दाखिल किया, जबकि अन्य ने नहीं किया। 36. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की गई राशि और

उपकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत यू. टी. ए. एस. का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा कोई लेखा परीक्षण नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि कल्याण बोर्डों के पास बड़ी राशि पड़ी थी, लेकिन वितरित नहीं की गई थी। इस न्यायालय द्वारा इन राशियों को व्यय के अन्य शीर्षों के लिए परिवर्तित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

37. इसलिए, सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा 7 फरवरी, 2012 को निम्नलिखित सामान्य निर्देश जारी किए गए थे:

" (क) आज से दो महीने के भीतर सभी राज्य कल्याण बोर्डों का सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाएगा। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य बोर्डों को प्रक्रिया शुरू करने और सुनिश्चित करने के लिए

अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के तहत इसे पूरा करना।

(ख) प्रत्येक कल्याण बोर्ड, निश्चित रूप से, दो महीने में कम से कम एक बार अपनी बैठकें करेगा और अपने कार्यवृत्त के साथ-साथ

9 9 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम।

भारत संघ (2012) 3 एस. सी. सी. 336 [2018] 9 एस. सी. आर.

योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन और पात्र आवेदकों को धन के वितरण के संबंध में की गई कार्रवाई और प्रगति रिपोर्ट, उस सरकार के सचिव (श्रम) को। तिमाही।

(ग) कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधियों का, जिनका वितरण नहीं किया गया है या जिनके अल्पावधि के भीतर वितरित होने की संभावना नहीं है, केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही उचित रूप से निवेश किया जाना चाहिए। कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधियों का उपयोग राज्य द्वारा राज्य के किसी अन्य व्यय के लिए नहीं किया जाएगा।

सरकार आदि।

(घ) भारत संघ ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि उन्होंने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के लिए कदम उठाने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। भारत संघ को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। हम भारत संघ को धारा 24 से 27 के विशेष संदर्भ के साथ अधिनियम के तहत अपने विभिन्न वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने का भी निर्देश देते हैं। यह अधिनियम की धारा 60 के तहत सभी राज्यों को उचित निर्देश भी जारी करेगा।

सरकार अधिनियम के प्रावधानों को भी पूरी तरह से लागू करेगी

उपकर अधिनियम के रूप में "।

38. स्पष्ट रूप से, यह न्यायालय बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन से अधिक चिंतित था, न कि सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए मजबूर करने से। तदनुसार, उचित निर्देश जारी किए जाने के साथ, इस न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं की, जिसका तब निपटारा कर दिया गया था।

39. एक साल से भी अधिक समय बाद, इस न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2014 को इस उम्मीद के साथ मामले को फिर से उठाया कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

इस बीच में लिया गया। हालाँकि, उम्मीदें झूठी साबित हुईं और इसलिए श्रम मंत्रालय में सचिव को एक निर्देश दिया गया और 16 जनवरी, 2015 को या उससे पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रालयों में सभी सचिवों की एक बैठक बुलाने और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके साथ चर्चा करने और आम सहमति पर पहुंचने के लिए भारत सरकार का नियोजन क्योंकि इन कानूनों में निर्माण श्रमिकों की जीवन स्थितियों और उनके लाभ के लिए भारी राशि का संग्रह शामिल है। 10

10 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम।

भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. 166 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) बनाम। भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

40. 12 दिसंबर, 2014 को दिए गए निर्देशों के अनुसार

इस संबंध में। 13 फरवरी, 2015 के आदेश में यह देखा गया कि हलफनामे में उपकर के संग्रह और उपयोग से संबंधित कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया गया है। चित्रण के माध्यम से, संबंधित आंकड़े महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों का उल्लेख किया गया। 13 फरवरी, 2015 के आदेश में तैयार और शामिल सारणीबद्ध विवरण नीचे दिया गया है:

करोड़ में उपकर संग्रहित व्यय में कटौती की गई

वर्ष

17 योजनाओं के लिए

करोड़

कोई आंकड़ा नहीं

दिया गया है

2011-12

रु. 425.97

2012-13

रु. 777.69

रु. 3. 99

रु. 53.34

2013-14

रु. 788.60

(महाराष्ट्र राज्य)

में किया गया व्यय

वर्ष

करोड़ों में उपकर एकत्र किया गया

विभिन्न योजनाओं के लिए

करोड़

कोई आंकड़ा नहीं

दिया गया है

2011-12

रु. 154.01

रु. 11.95

2012-13

रु. 173.83

रु. 251.95

रु. 25.93

2013-14

(राजस्थान राज्य)

41. यह ध्यान दिया गया कि उपरोक्त दो सारणीबद्ध विवरणों में दिखाई देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, यानी एकत्र की गई बड़ी राशि का उपयोग न करना, एक के बाद एक राज्यों में दोहराया गया। यह आगे नोट किया गया था कि: (i) इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि क्या कैग ने प्राप्तियों (2018) 9 एस. सी. आर. का लेखा-परीक्षण किया था।

और व्यय; (ii) निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए कई योजनाएं चल रही थीं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि योजनाओं की निगरानी किसी एक प्राधिकरण द्वारा की जा रही थी या किसी एक प्राधिकरण द्वारा।

प्रत्येक योजना के लिए एक अलग प्राधिकरण। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल से इस संबंध में स्थिति सूचित करने का अनुरोध किया गया था; (iii) मौजूदा स्थिति को देखते हुए, भारत संघ से आवश्यक कदम उठाने और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत उचित निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई थी। 11

13 फरवरी, 2015 को नोटिस किया गया था। उन्होंने न केवल राजस्थान के संदर्भ में, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में भी दुखद स्थिति की ओर इशारा किया। यह भी ध्यान में लाया गया कि उपकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकत्र की गई कुल राशि लगभग Rs.25,000 और Rs.30,000 करोड़ के बीच थी। विद्वान न्यायमित्र द्वारा की गई दलीलों के आधार पर हमने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा उपकर अधिनियम के तहत राशि के संग्रह और उपयोग और राशि के उपयोग के प्रस्तावों के संबंध में। 12

43. दुर्भाग्य से, दायर किए गए हलफनामों ने धन के उपयोग के मामले को आगे नहीं बढ़ाया, इस अर्थ में कि राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एकत्र किए गए उपकर को कैसे खर्च किया जाए; इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि एकत्र किए गए उपकर का उपयोग निर्माण श्रमिकों के लाभ के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जैसे कि विज्ञापन आदि के लिए। इस स्थिति का सामना करते हुए, हमारे पास भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव से एकत्रित उपकर के उपयोग से संबंधित संभावित कार्य योजना के साथ अदालत में उपस्थित होने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

44. जब श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव 11 सितंबर, 2015 को अदालत में पेश हुए तो उन्होंने हमें कुछ बातों के बारे में सूचित किया।

भारत सरकार द्वारा विचार किए गए सकारात्मक कदम। हमने तीन नोट किए

इस तरह के कदम: (i) प्रत्येक निर्माण श्रमिक को एक सार्वभौमिक पहुंच संख्या प्रदान की जानी चाहिए ताकि यदि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करता है, तो पंजीकरण का लाभ न खो जाए और न ही ऐसा हो।

11 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम।

भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. 169

12 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति v.

भारत संघ, (2015) 17 एस. सी. सी. 171 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) बनाम। भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

निर्माण श्रमिकों को दूसरे राज्य में पंजीकृत होने की आवश्यकता है; (ii) निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण- हमें सूचित किया गया था कि हालांकि 4 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक थे, लेकिन केवल लगभग डेढ़ करोड़ संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत थे। यह उम्मीद की गई थी कि शेष निर्माण श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के अंत से पहले यानी 31 मार्च, 2016 तक पंजीकृत कर लिया जाएगा; (iii) यह सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों को दिया जाए, जैसे कि छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम आदि। 1 3 45. यह उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की शुरुआत कुछ नई या नवीन नहीं है, क्योंकि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 13 के तहत कानून के प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिस पर विधिवत एक तस्वीर चिपकाई जाती है। इसी तरह, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 15 प्रत्येक नियोक्ता को एक नियम बनाए रखने के लिए बाध्य करती है।

किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लाभार्थियों के रोजगार का विवरण दिखाने वाला रजिस्टर। जाहिर है, रजिस्टर में केवल बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 13 के तहत जारी पहचान पत्र के आधार पर लाभार्थी की पहचान होगी। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 13 और धारा 15 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 13. पहचान पत्र। - (1) बोर्ड प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र देगा जिस पर उसका फोटो विधिवत चिपकाया जाएगा और जिसमें भवन या भवन का विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह होगी।

उनके द्वारा किए गए अन्य निर्माण कार्य।

(2) प्रत्येक नियोक्ता पहचान पत्र में विवरण दर्ज करेगा।

लाभार्थी द्वारा किए गए भवन या अन्य निर्माण कार्य का प्रमाणीकरण करें और उसे लाभार्थी को वापस कर दें।

(3) एक लाभार्थी जिसे इस अधिनियम के तहत एक पहचान पत्र जारी किया गया है, उसे किसी भी अधिकारी द्वारा जब भी मांग की जाएगी, उसे प्रस्तुत करना होगा।

सरकार या बोर्ड, किसी भी निरीक्षक या निरीक्षण के लिए किसी अन्य प्राधिकरण का।

15. लाभार्थियों का रजिस्टर। प्रत्येक नियोक्ता को

एक रजिस्टर को ऐसे प्रपत्र में बनाए रखें जो निर्धारित किया जा सकता है

भवन या उसके द्वारा किए गए अन्य निर्माण कार्य में नियोजित लाभार्थियों के रोजगार के विवरण का बोर्ड के सचिव या इस संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण किया जा सकता है।

13 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति v.

भारत संघ (2015) 17 एस. सी. सी. 173 [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. इस मामले को एक बार फिर 16 अक्टूबर, 2015 को विचार के लिए लिया गया जब पक्षों के विद्वान वकील को सुना गया और

श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया गया। 1 4 चर्चा के दौरान, यह सामने आया कि पांच प्रमुख क्षेत्र थे जिन पर केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता थी।

कुछ समय के लिए ध्यान केंद्रित करें। इन पाँच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान निम्नानुसार की गई थी:

" (i) भवन और अन्य का अधिकतम आवरण सुनिश्चित करना।

निर्माण श्रमिकों;

((ii) भवन के लाभ के लिए मौजूद योजनाओं के लाभों का वितरण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

और अन्य निर्माण श्रमिकों;

((iii) शिक्षा पर अधिक जोर देना और शिक्षा प्रदान करना।

भवन के बच्चों और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाएं;

((iv) भवन के स्वास्थ्य लाभ और बीमा प्रदान करना और

अन्य निर्माण श्रमिक और उनके परिवार;

(v) राज्य सलाहकार बोर्डों को सक्रिय करना, जो हलफनामे के अनुसार, पिछले कई वर्षों में नहीं मिले हैं।

47. इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, शायद ही कोई प्रगति हुई थी

निर्माण श्रमिकों को लाभ। नतीजतन, इस न्यायालय को निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का निर्धारण करने और यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में राशि कहां खर्च की जा रही थी, कैग कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

48. कैग के कार्यालय द्वारा दायर हलफनामों से संकेत मिलता है कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि

यह लगभग Rs.27,000 करोड़ और लगभग Rs.29,000 करोड़ के क्षेत्र में था। हलफनामों ने यह भी संकेत दिया कि कुछ राज्य सरकारों ने राज्य कल्याण बोर्ड को राशि हस्तांतरित करने की जहमत भी

नहीं उठाई थी। कुल मिलाकर, हलफनामों ने एक चौंकाने वाली स्थिति की स्पष्ट तस्वीर दी क्योंकि कुछ कल्याण बोर्डों ने एकत्र किए गए उपकर में से प्रवेश कर/मूल्य वर्धित कर के भुगतान, निर्माण श्रमिकों के लिए वाशिंग मशीन की खरीद और निर्माण के लिए लैपटॉप की खरीद पर खर्च किया था

14 निर्माण श्रम पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति v.

कर्मचारी। इस न्यायालय ने पाया कि यह आश्चर्यजनक है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण श्रमिकों को, जो बड़े पैमाने पर गरीब और अशिक्षित थे, कपड़े धोने की मशीन और लैपटॉप उपलब्ध कराने में कोई तर्क नहीं था। साथ ही प्रवासी श्रमिक भी। जो भी हो, यह भी ध्यान में आया कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारी राशि खर्च की जा रही थी, जिससे बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 24 (3) में दी गई 5 प्रतिशत की सीमा पार हो गई थी। जहां तक लाभार्थियों का संबंध था, उनके लाभ के लिए एकत्र की गई उपकर राशि का मुश्किल से 10 प्रतिशत उपयोग किया गया था, जिसमें वाशिंग मशीन और लैपटॉप पर खर्च भी शामिल था।

49. 10 नवंबर, 2017 को जब मामला फिर से उठाया गया

विचार के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने हमें सूचित किया कि देश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या लगभग 2 करोड़ 15 लाख से बढ़कर लगभग 2.8 लाख हो गई है। हमें यह भी बताया गया कि देश में उपकर का संग्रह बढ़ गया है और 30 जून, 2017 तक यह 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 30 जून, 2017 तक कुल खर्च भी लगभग Rs.5371 करोड़ से बढ़कर लगभग Rs.9491 करोड़ हो गया था। हमें यह भी बताया गया कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल निर्माणाधीन है जिसका उपयोग गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकता है, शायद उन कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिनसे हम संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, हमें यह धारणा दी जानी चाहिए कि भारत सरकार अब एक साथ काम कर रही है, आंकड़े एकत्र कर रही है और निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है।

भारत संघ द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र

50. श्रम मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ और

एम्प्लॉयमेंट ने समय-समय पर लगभग एक दर्जन हलफनामे दायर किए हैं। प्रत्येक शपथपत्र की सामग्री का विस्तार करना आवश्यक नहीं है, सिवाय निर्माण श्रमिकों के हितों से सीधे संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों के, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है।

(क) धारा के तहत भारत संघ द्वारा जारी किए गए निर्देश

60 बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम: भारत संघ ने विभिन्न जारी किए हैं

राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को निर्देश

ध्यान दें।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम को लागू करना। ये

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत निर्देश जारी किए गए थे:

(i) 27 सितंबर, 2010

((ii) 12 जुलाई, 2013 (वैधानिक आदेश)

(iii) 27 फरवरी, 2014

((iv) 4 मार्च, 2014

(v) 16 अक्टूबर, 2014

(vi) 9 सितंबर, 2015

(vii) 23 सितंबर, 2015

(viii) 8 अक्टूबर, 2015 और

(ix) 7 जून, 2016

51. भारत संघ द्वारा 11 सितंबर, 2015 के एक हलफनामे में कहा गया है कि अतीत में जारी किए गए निर्देशों का वांछित परिणाम नहीं निकला है, जो कल्याण बोर्डों के साथ भारी मात्रा में उपकर के संचय में परिलक्षित होता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की अन्य शर्तों के लिए अपर्याप्त प्रावधान हैं। इस शिकायत को हलफनामे के बाद के पैराग्राफ में दोहराया गया है। हालाँकि, हम यह नोट कर सकते हैं कि बाद में, 26 फरवरी, 2016 को एक हलफनामे में भारत संघ ने एक सारणीबद्ध रूप में अनुपालन की स्थिति का संकेत दिया।

जारी किए गए कुछ निर्देशों के साथ; फिर भी, गैर-अनुपालन नियम बना रहा जबकि अनुपालन अपवाद था। इस मामले का सार यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र को लाभ दिया जाए, लेकिन यह किसी भी राज्य सरकार या यू. टी. ए. द्वारा हासिल नहीं किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों और यू. टी. ए. द्वारा बनाई गई योजना: जबकि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए योजनाओं का पूरा विवरण नहीं है

अभिलेख पर उपलब्ध, हम 13 फरवरी, 2015 को भारत संघ द्वारा दायर हलफनामे से यह जानकर आश्चर्यचकित हैं कि राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं की संख्या कितनी है। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि हरियाणा में 22 योजनाएं हैं; हिमाचल प्रदेश में 17 योजनाएं हैं; झारखंड में विभिन्न योजनाएं हैं; महाराष्ट्र में 17 योजनाएं हैं; मेघालय में 14 योजनाएं हैं; दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 18 योजनाएं हैं और राजस्थान और तमिलनाडु में विभिन्न योजनाएं हैं। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकारें और यू. टी. ए. इन योजनाओं के निर्माण, उनकी प्रभावकारिता की निगरानी और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के बारे में कोई विचार किए बिना केवल एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा करने में रुचि रखते हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन केवल कागजों पर ही प्रतीत होता है।

((ग) अन्य लाभ: भारत संघ के शपथ पत्र कुछ वैधानिक लाभों का विज्ञापन करते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v.

निर्माण श्रमिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ के हकदार होंगे, क्योंकि इस योजना के माध्यम से किए गए अधिकांश कार्य, कुछ संबंधित कार्यों को छोड़कर

भवन निर्माण श्रमिकों के लिए, यह न केवल बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के दायरे में आता है, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (शामिल क्षेत्रों में) के दायरे में भी आता है। 10 या अधिक भवन निर्माण श्रमिकों को नियुक्त करने वाला प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (कवर किए गए क्षेत्रों में) के दायरे में आ सकता है, और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के दायरे में आ सकता है और इसके दायरे में भी आ सकता है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम।

52. दूसरे शब्दों में, भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी संख्या में लाभ उपलब्ध हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास की आवश्यकता है कि सभी संबंधित अधिकारी इन भवन और निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एक साथ बैठें, जिनके खाते में सेस अधिनियम के तहत हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए जा रहे हैं।

53. भारत संघ द्वारा 9 अक्टूबर, 2015 के अपने हलफनामे में यह खुलासा किया गया है कि पिछले 12 महीनों के दौरान देश में कहीं भी एक भी राज्य सलाहकार समिति ने एक भी बैठक नहीं की। यह एक स्पष्ट संकेत है कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करने में शक्तियों की ओर से चिंता और उदासीनता की पूरी कमी है। यह वास्तव में एक अत्यंत खेदजनक स्थिति है जो शेक्सपियर की त्रासदी को शर्मसार करती है। राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें निभाना चाहिए या अपना पद छोड़ना चाहिए, और किसी और के लिए जिम्मेदारी संभालने का रास्ता बनाना चाहिए।

(घ) सोबर्निंग विशेषताएँ: भारत संघ द्वारा दायर हलफनामों से दो गंभीर विशेषताएं सामने आती हैं। वे इस प्रकार हैं:

(i) एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होती है।

[2018] 9 एस सी आर।

निर्माण श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी के साथ एक सार्वभौमिक पहुंच संख्या प्रदान करने के लिए कदम। हालाँकि, इसके लिए कुछ विधायी परिवर्तनों और भारत संघ, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा एक बड़े अभियान और प्रयास की आवश्यकता होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनमें से किसी के पास यह सुनिश्चित करने की इच्छा या इच्छा है कि एक सार्वभौमिक पहुंच संख्या के प्रावधान के माध्यम से, निर्माण श्रमिकों को वे लाभ दिए जाएंगे जो वे वैध रूप से हकदार हैं; (ii) दूसरी गंभीर विशेषता का खुलासा 26 तारीख के हलफनामे में किया गया है।

फरवरी, 2016 में भारत संघ ने एक सारणीबद्ध बयान दिया है जिसमें दिखाया गया है कि कई राज्यों ने इसका पालन किया है

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत भारत संघ द्वारा जारी कुछ निर्देश। हालांकि यह खुशी की बात है, निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए अधिनियमित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन अभी भी दूर है।

) एक सकारात्मक विकास हुआ है

एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाओं की घोषणा

असंगठित क्षेत्र योजना, 2015। इस योजना की प्रभावशीलता और इसके कार्यान्वयन का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन एनएएलएसए के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, हम काफी आश्वस्त हैं

कि यह सही दिशा में आवश्यक कदम उठा रहा है।

ओ निगरानी समिति: 10 नवंबर, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव ने हमारे सामने कहा था कि 2015 में किसी समय एक निगरानी समिति का गठन किया गया था (वास्तव में 9 सितंबर के आदेश के अनुसार)।

2015) बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। निगरानी समिति में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के श्रम सचिव और निगरानी की पहली बैठक होती है। समिति नवंबर 2015 में आयोजित की गई थी। इसके बाद निगरानी समिति द्वारा सात बैठकें आयोजित की गई हैं।

. बहुत पहले, 15 जनवरी, 2016 को एक हलफनामे के माध्यम से इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव द्वारा संपादित किया गया थानिगरानी समिति का गठन वास्तव में 9 तारीख के एक आदेश द्वारा किया गया था।

ईआर, 2015 श्रम मंत्रालय में सचिव के साथ और

नहीं, अध्यक्ष के रूप में, अतिरिक्त सचिव उपाध्यक्ष के रूप में

एन और संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण) सदस्य सचिव। मुख्य श्रम का एक प्रतिनिधि सायनर (केंद्रीय) एक सदस्य और निदेशक/डी. एस., डी. जी. (एल. डब्ल्यू.) थे।

सदस्य संयोजक थे। अस्पष्टता को देखते हुए, निगरानी समिति की संरचना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और न ही यह स्पष्ट है कि निगरानी समिति की संरचना का विस्तार किया गया है या नहीं। फिर से काम किया।

55. चाहे जो भी हो, निगरानी समिति के नियम और संदर्भ इस प्रकार हैं:

" (क) समिति तीन महीने में एक बार बैठक करेगी और वीडियो के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ बातचीत करेगी।

सम्मेलन या व्यक्तिगत रूप से।

(ख) समिति जानकारी के लिए सचिव (एल एंड ई) को प्रत्येक बैठक की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उपकर निधि के उपयोग में सुधार के लिए आगे के उपायों का सुझाव देगी।

(ग) धारा के तहत समय-समय पर निर्देश जारी करने का सुझाव दें।

60 बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, 1996, यदि आवश्यक महसूस किया जाए।

56. निगरानी समिति की पिछली बैठक (8वीं बैठक) 12 दिसंबर, 2017 को हुई थी। यह बैठक इस न्यायालय द्वारा 10 नवंबर, 2017 को पारित आदेश के बाद और श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आयोजित की गई थी कि वह निगरानी समिति की एक बैठक बुलाएंगी।

एक महीने के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम सचिवों से बनी समिति।

भारत सरकार द्वारा सम्मानित और सम्मानित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम अब भारत संघ अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति जागृत हो गया है। उपकर का संग्रह और उपयोग

58. उपकर के संग्रह और उपयोग के बारे में सांख्यिकीय जानकारी पूरी तरह से गड़बड़ के अलावा कुछ नहीं बताती है। हमारे रिकॉर्ड पर आंकड़े तीन स्रोतों से उपलब्ध हैं:

1. 16वीं लोकसभा की श्रम पर स्थायी समिति की 28वीं रिपोर्ट (2016-17) अगस्त 2017 में तैयार की गई थी।

2. 6 अक्टूबर, 2017 को कैग का शपथ पत्र। हालांकि, यह जानकारी अधूरी है और वास्तविक आंकड़े इससे अधिक होंगे। शपथ पत्र में दर्शाया गया है। यह यहाँ कहा जाना चाहिए कि यह आश्चर्य की बात है कि [2018] 9 एस. सी. आर.

यहां तक कि कैग के पास भी राज्य सरकारों और यू. टी. ए. के सटीक आंकड़े नहीं हैं।

3. सचिव, मंत्रालय द्वारा न्यायालय में प्रदान की गई जानकारी

10 नवंबर, 2017 को श्रम और रोजगार।

59. संग्रह और उपयोग की गड़बड़ी की सराहना की जा सकती है

नीचे सारणीबद्ध कथन है:

उपकर एकत्र किया गया

खर्च की गई उपकर राशि

उपकर

राशि

राशि

के रूप में संग्रहित

स्थानांतरण

के रूप में

संग्रहित

के अनुसार

के अनुसार

के अनुसार खर्च किया गया

इसके अनुसार

बयान

की रिपोर्ट

इसके अनुसार

के लिए

की रिपोर्ट

खड़े रहना।

खड़े रहना।

कल्याण

का शपथ पत्र

का बयान

समिति के रूप में

समिति के रूप में

सीएजी

बोर्ड की तरह

द.

सचिव,

31.03.2017 पर

31.03.2017 पर

दिनांकित

इसके अनुसार

सचिव,

मंत्रालय

06.10.2017

का शपथ पत्र

मंत्रालय

(अस्थायी)

श्रम और

(अस्थायी)

(करोड़ो में

(करोड़ो में

श्रम और

सीएजी

(करोड़ में

रोजगार

दिनांकित

रुपये का

के रूप में

रोजगार

रुपये)

रुपये

6.10.2017

30.6.2017

के रूप में

30.6.2017

(करोड़ में

(करोड़ में

रुपये का

रुपये का

(करोड़ में

रुपये का

37482

32632.96

9491

37255.45

37060.90

75 16.52

(नहीं।

अनिवार्य रूप से

प्रयुक्त) 1 5 15

60. 31 मार्च, 2017 तक प्रत्येक से संबंधित विस्तृत आंकड़े

राज्य और यू. टी. ए. इस निर्णय के अनुलग्नक I में दिए गए हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने 14 दिसंबर, 2016 को दायर एक हलफनामे में कहा है कि उसका अनुमान है कि उपकर की राशि जो एकत्र की जानी चाहिए थी, वह लगभग रु। 70,000 करोड़!

61. शायद केवल स्थायी समिति के पास ही सटीक आंकड़े हैं।

लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह काफी चौंकाने वाला है कि सीएजी के पास भी सभी आंकड़े नहीं हैं और जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं, वे विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। यह सराहना की जानी चाहिए कि सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के अनुच्छेद 148 में संघ और राज्यों के खातों के संबंध में कर्तव्य और संविधान के अनुच्छेद 149 द्वारा पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया है। यदि इस संवैधानिक निकाय के पास नहीं है

15 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. में स्पष्ट विसंगति है। भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

आवश्यक और सटीक जानकारी, निस्संदेह इस क्षेत्र में एक वित्तीय गड़बड़ी है और यह अराजकता 1996 से मौजूद है। इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और आधिकारिक उदासीनता के एकमात्र पीड़ित हैं -

निर्माण श्रमिक जो कई कमजोरियों से पीड़ित हैं।

62. जो बात स्थिति को और भी बदतर बनाती है वह यह है कि कई

माना जाता है कि निर्माण श्रमिक महिलाएं हैं और उनमें से कम से कम कुछ के छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है। यह कि वे भी आधिकारिक उदासीनता के शिकार हैं, वास्तव में एक बहुत ही दुखद स्थिति को दर्शाता है, और पहले से ही उन्हें और अन्य निर्माण श्रमिकों को हुए नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा निर्माण श्रमिक पैसे के मामले में कितना पाने का हकदार है या क्या लाभ और किस योजना के तहत। हो सकता है कि 1990 के दशक और उसके बाद भी इनमें से कुछ निर्माण श्रमिकों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई हो या उनका पता नहीं चल सका हो या उनकी उम्र इतनी हो कि वे पेंशन के योग्य हो सकें। इसलिए सवाल यह है: उन हजारों करोड़ का क्या किया जाना चाहिए जो निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एकत्र किए गए हैं लेकिन उनका उपयोग उनके लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है? क्या राज्य सरकारें और यू. टी. ए. एस. या कल्याण बोर्ड अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ उठा सकते हैं और इस खर्च पर अपने खजाने भर सकते हैं?

एचटी टी

अज्ञात और असहाय निर्माण श्रमिकों में से, जिनमें से कुछ महिलाएं हैं और कुछ के छोटे बच्चे हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए हमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है-यह पूरी तरह से भारत सरकार और संसद को तय करना है कि इन्हें कानूनी रूप से कैसे उपयुक्त बनाया जाए।

हजारों करोड़ रुपये और फिर निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए राशि का उपयोग करें, कम से कम भविष्य के लिए, यह मानते हुए कि अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यह एक विशाल कार्य है जिसके लिए शक्तियों को खुद को तैयार करना चाहिए, अगर वे कई कमजोरियों वाले लोगों की सहायता करने के लिए गंभीर हैं।

चर्चा और निर्देश

63. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और इसके सहयोगी कानून, उपकर अधिनियम सामाजिक न्याय कानून हैं। इन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिसमें राज्य को श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी नीति

को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है और काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 42। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 को भुलाया नहीं जा सकता है। गरिमापूर्ण जीवन सभी व्यक्तियों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है और जिसमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं। इसी पृष्ठभूमि में दो कल्याणकारी और लाभकारी कानूनों को समझना और उनकी सराहना की जानी चाहिए।

64. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण 1995-1996 में 85 लाख निर्माण श्रमिकों (85 लाख) को संदर्भित करता है। वे समाज के कमजोर वर्ग थे जिन्हें अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राज्य के समर्थन की आवश्यकता थी। उन्हें राज्य द्वारा लगातार नीचा दिखाया गया है और यहां तक कि इस न्यायालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों से भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। शासन का अर्थ मन की बात कहने या अच्छी योजनाओं को तैयार करने के बारे में नहीं है, बल्कि कार्रवाई के बारे में है और यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक निर्माण श्रमिकों के अधिकारों का संबंध है, समाज के कमजोर वर्ग को शासन संरचना द्वारा बुरी तरह से नीचा दिखाया गया है। उनके लिए मामले को बदतर बनाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में निर्माण श्रमिकों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। राज्य के समक्ष कार्य-प्रभावी रूप से

लाभ और कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करना।

समाज का एक कमजोर वर्ग बहुत बड़ा है, और जैसा कि मामले में प्रगति से पता चलता है, राज्य इस पर खरा उतरने में असमर्थ हो सकता है।

जब तक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रबल इच्छाशक्ति न हो, तब तक संसद की अपेक्षाएँ। इस तरह की स्थिति में राज्य की उदासीनता वस्तुतः निर्माण श्रमिकों के शोषण के बराबर है, और यदि राज्य बदल जाता है शोषणकारी, समाज के कमजोर वर्गों के लिए बहुत कम उम्मीद है।

65. इस पृष्ठभूमि में और उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों पर, पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।

66. याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलों के लिए विद्वान वकील इस आशय के थे कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए एकत्र की गई राशि का उपयोग उनके लाभ के लिए किया जाना चाहिए न कि खरीद सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

कपड़े धोने की मशीन और लैपटॉप जैसी वस्तुओं के बारे में जो स्पष्ट रूप से नहीं हो सकते

निर्माण श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलें इस आशय की थीं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण और प्रभावी अनुपालन हो और निगरानी समिति इन प्रयासों की निगरानी कर रही है ताकि सभी आवश्यक हक और लाभ निर्माण श्रमिकों को दिए जा सकें।

67. अभिलेख पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च, 2017 से 30 जून, 2017 तक एक तिमाही में एकत्र किए गए उपकर की मात्रा लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये है। 5000 करोड़। (श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव द्वारा दिए गए आंकड़ों के बीच का अंतर राष्ट्रीय शिविर समिति (एनसीसी-सीएल) v.

और स्थायी समिति)। यह एक बहुत बड़ी राशि है और लगभग रु। 20,000 करोड़ का वार्षिक संग्रह। सीएजी या यहां तक कि स्थायी समिति द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए आंकड़े इतने बड़े संग्रह को नहीं दर्शाते हैं। जाहिर है, संग्रह और लेखा तंत्र के साथ कुछ बहुत खराब है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिष्ठानों और निर्माण श्रमिकों दोनों के पंजीकरण का अभ्यास संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सभी राज्य सरकारों और यू. टी. ए. के साथ-साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब तक उपकर के संग्रह के संबंध में प्रावधानों का प्रभावी और पूर्ण अनुपालन नहीं होता है, तब तक कई प्रतिष्ठान नेट से बाहर रहेंगे और हजारों लाभार्थियों को संवैधानिक और वैधानिक रूप से उनके कारण से वंचित कर दिया जाएगा।

68. इसलिए हमारा पहला निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को है कि वे इसे लागू करें और

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के साथ-साथ निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण दोनों के लिए पंजीकरण तंत्र को मजबूत करना। यह उनके द्वारा तय की जाने वाली एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द। 69. इस संबंध में मंत्रालय, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को हमारा दूसरा निर्देश उपकर के संग्रह के लिए तंत्र की स्थापना और उसे मजबूत करना है। यह आम जानकारी की बात है कि पूरे देश में भारी मात्रा में निर्माण गतिविधि चल रही है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि निर्माण गतिविधि में शामिल प्रतिष्ठानों, दोनों औपचारिक और गैर-औपचारिक, को उपकर का भुगतान नहीं करना चाहिए, खासकर जब वे निर्माण श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हों। इसी तरह, इसका कोई कारण नहीं है कि इनके निर्माण श्रमिक

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत प्रतिष्ठानों को उनके अधिकारों और लाभों से वंचित किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बड़ी राशि है

इसमें शामिल हैं और अगर रुपये का तिमाही संग्रह होता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। 5000 अगर पंजीकरण तंत्र और संग्रह तंत्र को मजबूत किया जाए और अपनी क्षमता के अनुसार काम किया जाए तो एकत्र किया गया उपकर शायद सबसे कम, बहुत अधिक हो सकता है।

70. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. ने कथित रूप से निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए बड़ी संख्या में योजनाएं तैयार की हैं। योजनाओं की बहुलता इस कहावत को ध्यान में लाती है कि बहुत अधिक रसोइये शोरबा खराब कर देते हैं। इन योजनाओं पर नज़र रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जिसके परिणामस्वरूप शायद प्रशासनिक मुद्दे और लालफीताशाही हो सकती है। यदि [2018] 9 एस. सी. आर. द्वारा एक मॉडल योजना तैयार की जाती है तो यह सार्थक होगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा सुसज्जित प्रतीत होता है, मौजूदा योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं (कहने के लिए) को अपना रहा है। यह मॉडल योजना तब सभी संबंधित लोगों, यानी राज्य सरकारों, यू. टी. ए. और कल्याण बोर्डों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

जहाँ आवश्यक हो वहाँ उचित संशोधन करने का लचीलापन। 71. इसलिए हमारा तीसरा निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय को है कि वह लोगों के लाभ के लिए एक समग्र मॉडल योजना तैयार करे।

गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से निर्माण श्रमिक जो वास्तव में निर्माण श्रमिकों के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की एक आदर्श योजना तैयार करने में एक तात्कालिकता है, हम श्रम और रोजगार मंत्रालय को धीरे-धीरे जल्दबाजी करने और एक ऐसी आदर्श योजना तैयार करने के लिए सावधान करेंगे जो व्यापक हो और जिसे आसानी से लागू किया जा सके, व्यावहारिक हो और जिसमें बहुत अधिक कागजी कार्रवाई शामिल न हो।

72. हम उम्मीद करते हैं कि आदर्श योजना तैयार करने में श्रम और रोजगार मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ मुद्दों को भी शामिल करेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन और अन्य लाभ जो भारत के संविधान द्वारा अभिनिर्धारित गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तय की जाने वाली एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदर्श योजना तैयार की जाएगी और प्रचारित की जाएगी, अधिमानतः छह महीने के भीतर, लेकिन किसी भी स्थिति में 30 सितंबर, 2018 को या उससे पहले।

73. कैग ने 2 मई, 2017 के अपने हलफनामे में कहा है कि वह तीन प्रकार के लेखापरीक्षा करता है: वित्तीय लेखा परीक्षा, अनुपालन लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा। हलफनामे में यह समझाया गया है कि:

" ..... वित्तीय लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं या सभी मामलों में पूर्ण हैं और पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा यह जांचती है कि संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। प्रदर्शन लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा इस बात की जांच करती है कि गतिविधि, कार्यक्रम या संगठन किस हद तक काम करता है।

आर्थिक, कुशलता और प्रभावी ढंग से "।

74. दुर्भाग्य से, जैसा कि आंकड़ों में भिन्नता से पता चलता है, ऑडिट की तीन श्रेणियों में से कम से कम एक में प्रभावी ऑडिट का अभाव है, अगर तीनों में नहीं। संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते,

सीएजी को अपने कार्यों को कैसे पूरा करना है, इस बारे में कोई निर्देश देना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि सीएजी के लिए राष्ट्रीय शिविर समिति (एनसीसी-सीएल) v. के मुद्दों का जायजा लेना आवश्यक है।

और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याएं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें शामिल भारी राशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और सार्थक लेखा परीक्षा की जाए। 75. लेखापरीक्षा के मुद्दे पर, यह प्रत्येक राज्य और यू. टी. ए. में राज्य सरकारों और कल्याण बोर्डों के लिए सार्थक और प्रासंगिक होगा।

सामाजिक लेखापरीक्षा करना। कैग ने कुछ अन्य योजनाओं के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं (उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के संदर्भ में सामाजिक लेखा परीक्षा मानक विकसित करने पर कार्य समूह की रिपोर्ट)।

गारंटी अधिनियम, 2005) और इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्परिवर्तित किया जा सकता है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम।

76. हमारा चौथा निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का है ताकि भविष्य में बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम का बेहतर और अधिक प्रभावी और सार्थक कार्यान्वयन हो सके। यदि कोई गलती हुई है, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कार्यान्वयन में सैकड़ों गलतियाँ हुई हैं, तो बेहतर भविष्य के लिए गलती को स्वीकार करना अधिक उचित है।

इसे उचित ठहराएँ या गलती दोहराना जारी रखें। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के मामले में ऐसा अधिक है, जहां करोड़ों पुरुष, महिलाएँ और बच्चे दैनिक आधार पर शामिल हैं और संसद ने उनके लाभ के लिए कानून बनाना उचित समझा है। संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों की पवित्रता होनी चाहिए

मान्यता-कानून पालन किए जाने के लिए बनाए जाते हैं न कि उल्लंघन किए जाने के लिए। कानून के शासन का सम्मान किया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ भवन और निर्माण श्रमिकों के मानवाधिकारों और गरिमा का भी सम्मान और स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूटने से बचा जा सके।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के भाग III के गंभीर उल्लंघन से जटिल हो गया। 77. हमें यह दर्ज करते हुए दुख हो रहा है कि भारत संघ ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से इस निर्देश को स्वीकार किया है

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 60 के तहत जारी किए गए नियमों की राज्य सरकारों और यू. टी. ए. एस. द्वारा इस अर्थ में अवहेलना की जाती है कि जब भी राज्य सरकार या यू. टी. ए. के लिए सुविधाजनक हो, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है या उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। यह परेशान करने वाला है और हमारे लिए इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पर चर्चा करने के लिए भारत संघ पर छोड़ देते हैं

और यह सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीकों और कार्यप्रणाली पर निर्णय लेना कि संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत जारी किए गए निर्देशों को [2018] 9 एस. सी. आर. द्वारा उचित सम्मान दिया जाए।

सरकारें और यू. टी. ए. और उनके तहत जारी किए गए निर्देशों पर अक्षर और भावना में कानूनों की पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है।

स्पैच और शीघ्रता।

सामान्य निर्देश

78. उन विशिष्ट दिशाओं के अलावा जो हमें विवश किए गए हैं, कुछ सामान्य दिशाओं को पारित करना आवश्यक है ताकि बी. ओ. सी. डब्ल्यू

पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ लागू किया गया।

1. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. एक राज्य का गठन करेंगे।

सलाहकार समिति, यदि पहले से गठित नहीं है, और वह राज्य सलाहकार समिति अपने कार्य के संचालन के लिए नियमित रूप से बैठक करेगी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का नियम 20 (रोजगार का विनियमन)

और सेवा की शर्तें) केंद्रीय नियम, 1998 में प्रावधान है कि केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक छह महीने में कम से कम एक बार होगी। इसका उपयोग बैठकों के लिए एक अच्छे दिशानिर्देश के रूप में किया जा सकता है। राज्य सलाहकार समिति।

2. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. एक विशेषज्ञ का गठन करेंगे।

समिति और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 62 के तहत वैधानिक नियम बनाएँ, यदि ऐसे वैधानिक नियम पहले से ही तैयार नहीं किए गए हैं। एक विशेषज्ञ समिति का गठन और वैधानिक नियम तैयार करना एक समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, जिसमें अभ्यास अधिमानतः छह महीने के भीतर और किसी भी स्थिति में पूरा किया जाना चाहिए।

30 सितंबर, 2018 तक।

3. राज्य सरकारों और यू. टी. ए. को पंजीकरण नियुक्त करना चाहिए।

प्रतिष्ठानों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अधिकारी। यह कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण पहलू है

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के साथ-साथ उपकर अधिनियम।

4. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. को एक कल्याण स्थापित करना चाहिए।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार बोर्ड। यह सराहना की जानी चाहिए कि यह एक निकाय नहीं है जिसे एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया जा सकता है। कानून के अनुसार कल्याण बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर होगी। इसलिए कल्याण बोर्ड के गठन के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए।

5. प्रत्येक राज्य सरकार और यू. टी. ए. को एक कल्याण स्थापित करना चाहिए।

निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए निधि, निधियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नियम।

राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

6. यह अनिवार्य है कि सभी निर्माण श्रमिकों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिए और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय

के लिए एक सार्वभौमिक अभिगम संख्या जारी करने का प्रस्ताव दिया है

प्रत्येक निर्माण श्रमिक। हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं या

सार्वभौमिक अभिगम संख्या की प्रभावकारिता या अन्यथा के बारे में अवलोकन। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि सभी निर्माण श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने चाहिए। हम इस मुद्दे को खुला रखते हैं और एक उपयुक्त प्रणाली पर निर्णय लेने के लिए इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय पर छोड़ देते हैं

पहचान और पंजीकरण, बशर्ते यह प्रभावी और सार्थक हो।

7. श्रम और रोजगार मंत्रालय निर्माण श्रमिकों को इसके लाभ उपलब्ध कराने पर सक्रिय रूप से विचार करेगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और न्यूनतम मजदूरी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान

अधिनियम, 1952 के साथ-साथ (यथासंभव) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।

8. श्रम और रोजगार मंत्रालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या रेलवे, रक्षा और अन्य प्रतिष्ठानों में भारत सरकार की परियोजनाओं को इस दायरे में लाया जाता है।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की परिधि।

9. निगरानी समिति, जिसकी अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, को सक्रिय रूप से बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, उपकर अधिनियम और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसे कहीं अधिक बार मिलने की आवश्यकता है, और किसी भी मामले में तीन महीने में एक बार, यह देखते हुए कि हजारों

करोड़ों रुपये का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा रहा है और कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

79. भारत संघ को प्रबंधन पर निर्णय लेना चाहिए

उपकर पहले से ही एकत्र किया जा चुका है। हमें ऐसा लगता है कि निर्माण श्रमिकों (लाखों लोगों की पहचान नहीं की गई है) को जो लाभ और लाभ प्राप्त हुए हैं, वे समय के कारण उन्हें नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ का ठिकाना ज्ञात नहीं है। दुर्भाग्य से, भारत संघ को पहले से एकत्र किए गए

उपकर के पूर्ण उपयोग पर निर्णय लेना होगा ताकि कल्याण को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध न किया जाए- दुर्भाग्य से लाभार्थियों को नुकसान हो रहा है।

यूट।

80. यह सराहना की जानी चाहिए कि निर्माण श्रमिक सहायता नहीं करते हैं।

केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण में, लेकिन वे अपने छोटे से तरीके से राष्ट्र के निर्माण में भी सहायता करते हैं। एक बार जब बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक लोगों को यह एहसास हो जाता है, तो शायद संविधान के अनुच्छेद 21 और संसद को उचित विवरण दिखाया जाएगा।

टैटू।

81. 1 मई, 2018 को दिए गए निर्देशों के लिए रिट याचिका को सूचीबद्ध करें।

पता लगाएँ कि क्या संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा तय की गई है

निर्देशों का पालन करने के लिए।

82. अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

अनुलग्नक I

स्थायी समिति

सीएजी रिपोर्ट

रिपोर्ट करें।

की राशि

राशि

की राशि

की

राशि

उपकर

उपकर

उप

कर

खर्च किया गया (रु।

संग्रहित

करोड़ में) जैसे

संग्रहित

स्था

नांतरण

(रु. में।

(रु.

में।

(रु. में

पर

श्री.

का नाम

करोड़) 31.03.2017 पर

करो

ड़) से

करोड़) से

नहीं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

1996 तब तक

[अस्थायी]

31.03.2017

भव

न और

31.03.2017

अन्
य

[अस्थायी]

कल्
याण
बोर्ड

आंध्र प्रदेश

1

667.53

प्रदेश

1153.61

205.46

667.50

अरुणाचल

2

65.36

51.60

प्रदेश

98.31

20.00

3

सैम के रूप में

512.24

12.57

530.46

611.82

4

बिहार

ना.

921.92

972.93

75.23

5

छत्तीसगढ़

755.80

699.61

514.14

ना.

6

85.68

95.78

गोवा

94.78

0.83

7

गुजरात

1564.64

35.00

863.04

1524.36

8

172.07

1847.05

1847.05

हरियाणा

1847.05

हिमाचल

9

360.62

प्रदेश

335.39

44.49

353.25

जम्मू और

10

221.00

625.99

कश्मीर

566.00

653.03 राष्ट्रीय शिविर समिति (एन. सी. सी.-सी. एल.) v. भारत संघ [मदन बी. लोकुर, जे.]

11

झारखंड

143.46

330.95

ना.

29 1.28

12

4106.03

240.00

4106.43

कर्नाटक

3861.00

13

केरल

1455.88

1474.73

1483.81

439.47

मध्य प्रदेश

14

ना.

207.10

प्रदेश

1575.62

552.04

15

महाराष्ट्र

5074.16

255.50

5074.16

5074.16

16

मणिपुर

21.00

10.99

63.61

ना.

17

मेघालय

99.84

99.84

94.83

1.09

18

मिजोरम

21.95

49.64

40.37

49.64

19

1.65

नगालैंड

20.06

3.34

1.65

20

ओडिशा

1118.35

361.00

1118.35

1100.00

21

973.78

पंजाब

921.55

391.61

973.78

22

1266.52

1069.19

राजस्थान

620.00

1600.00

23

64.67

सिक्किम

76.00

76.00

20.68

24

तमिलनाडु

1706.00

600.00

1870.60

1870.60

25

443.12

667.53

667.53

तेलंगाना

98.69

26

त्रिपुरा

129.28

12.36

140.18

140.18

उत्तर

27

184.25

220.78

2943.80

प्रदेश

598.90

28

उत्तराखंड

31.21

186.58

170.41

189.39

30

1846.68

1793.67

दिल्ली

174.71

1930.00

ए एंड एन

31

द्वीप समूह

ना.

ना.

3.91

46.42

32

चंडीगढ़

96.09

ना.

3.72

ना.

दादरा और

33

नागर

ना.

हवेली

3.08

ना.

0.00

दमन और

34

दीव।

ना.

ना.

37.17

0.54

35

लक्षद्वीप

5.66

6.15

0.00

6.15

36

पुडुचेरी

82.04

96.44

96.44

51.13

कुल

26008.83

7516.52 26136.75

32632.96

अंकित ज्ञान

जार

ी किए गए निर्देश